



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 449 वर्ष 2026

किंजल्क किशोर पांडेय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शितलेश पांडेय, शिवेंद्र नाथ सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. एन. पांडेय एवं श्री जितेन्द्र प्रसाद, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य के पक्षकार, को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 26.11.1990 को औषधिकारक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह दिनांक 30.06.2025 को सेवानिवृत्त हुए, परन्तु सेवानिवृत्ति पश्चात बकाया देय भुगतान नहीं किया गया।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निवारण द्वितीय प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया द्वारा किया जाएगा।
4. उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक **30.01.2026** तक याचिका की स्व-प्रतिलिपि और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विस्तृत प्रतिनिधित्व द्वितीय प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात्, द्वितीय प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के दावे का निवारण दो महीनों के भीतर करे। यदि द्वितीय प्रत्यर्थी के अनुसार यह मामला चौथे प्रत्यर्थी, अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर, जिला बलिया द्वारा निवारण योग्य है, तो संबंधित अभिलेख उसी के पास प्रेषित किए जाएँ।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।